2021/84

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री मोहनलाल देशप्रेमी पुत्र श्री त्रिवेणीकान्त जाति राजपुरोहित निवासी पाड़ीव जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं.36 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनॉक 05.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलाट द्वारा दिनाक 07.12.2020 को विकास अधिकारी सिरोही की शिकायत की थी। उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण जांच पत्रावली की छायाप्रति प्राप्त करने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनॉक 05.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 07.12.2020 को विकास अधिकारी सिरोही की शिकायत की थी। उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण जांच पत्रावली की छायाप्रति प्राप्त करने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner